ई–मेल / डाक

# राजस्थान सरकार
## (निर्वाचन विभाग)

**क्रमांकः** प.6(1)(35)रोल / निर्वा / 2016 / मतदान केन्द्र / 3082 **जयपुर, दिनांक** 01.06.2018

**प्रेषक :मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर

**प्रेषित :समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,**
(कलक्टर) राजस्थान।

**विषय : मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थिकरण करने के संबंध में।**
**प्रसंग : इस विभाग का पत्र क्रमांक 2913 दिनांक 22 मई, 2018 एवं आयोग का पत्र क्रमांक** 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 **दिनांक 07 मई, 2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07 मई, 2018 के क्रम में विभाग के प्रासंगिक पत्र कमांक 2913 दिनांक 22 मई, 2018 के द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व विभिन्न कार्य करने के दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्र दिनांक 07 मई, 2018 में दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षत्रों के मतदान केन्द्रों का शतःप्रतिशत भौतिक सत्यापन कर तद्नुसार मतदान केन्द्रों को सुव्यस्थित करने के निर्देश दिये गये हैं।

2. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार माह जून, 2018 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के शतःप्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। आयोग के उक्त दिशानिर्देश के क्रम में जिला / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निम्न कार्यवाही की जानी है।

2.1. **भौतिक सत्यापन की समयावधि :** सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शतःप्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन दिनांक 1 जून, 2018 से दिनांक 15 जून, 2018 के मध्य किया जाना है। यह कार्य आवश्यक रूप से निर्धारित तिथि तक किया जाना है जिससे आगे की गतिविधियॉ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जा सकें।

2.2. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति :** जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से अनुरोध है कि वह जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के

भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थिकरण की कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें तथा इनके नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी की सूचना विभाग को यथाशीघ्र प्रेषित करें। उक्त नोडल अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से समन्वय कर मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं सुव्यवस्थिकरण के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे तथा समय–समय पर जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे। समय–समय पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन की रिर्पोट में संकलित सूचना का सत्यापन करेंगे।

2.3. **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भौतिक सत्यापन हेतु अधिकारी की नियुक्ति :** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य स्वयं करेंगे,** यदि किसी कारण यह कार्य उनके द्वारा सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं है तो इस कार्य हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस कार्य हेतु नियुक्त किया जा सकता है।

3. **मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन :** पैरा 2 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का यथास्थिति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शतःप्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु एक प्रपत्र **परिशिष्ट–1** के अनुसार तैयार किया गया है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस प्रपत्र के सभी कॉलम्स का भलीभांति अध्ययन कर लें जिससे कि मौके पर तद्नुसार इस प्रपत्र में सूचना संकलित की जा सके। भौतिक सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्र के विभिन्न कॉलम्स की पूर्ति निम्न प्रकार से की जाए।

3.1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी संबंधित मतदान केन्द्र के सुपरवाईजर/बीएलओ मतदाता सूची यथासंभव अपने साथ रखेंगे, जिससे कि मतदान केन्द्रों से संबंधित समस्त सूचना संकलित करने में सुविधा हो सके।

3.2. प्रपत्र के कॉलम संख्या 2 व 3 में मतदान केन्द्रों का स्थान, भवन के नाम आदि की सूचना अंकित की जानी है। मतदान केन्द्रों के भवन के लोकेशन का नाम विस्तृत रूप से अंकित किया जाए ताकि इनको चिन्हित करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। (लोकेशन में क्या लिखना है स्पष्ट अंकित करें, उदाहरण के लिए यदि गॉव है तो गॉव का नाम व शहर में है तो उसका पता अंकित करें)। इसी प्रकार से कॉलम संख्या 4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि मतदान केन्द्र सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा प्राईवेट भवन में स्थापित है।

3.3. कॉलम संख्या 5 में मतदाताओं की संख्या का अंकन अर्हता तिथि 01.01.2018 के संदर्भ में अन्तिम रूप से दिनांक 22 जनवरी, 2018 को प्रकाशित मतदाता सूची एवं इसके पश्चात् निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान दिनांक 31 मई, 2018 तक मतदाता सूचियों में विशुद्ध रूप से जोड़े गये नामों की संख्या के आधार पर किया जाए। इसी प्रकार से कॉलम संख्या 6 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल/पुलिस स्टेशन/अस्पताल में स्थापित नहीं हैं। मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति/क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में इसका उल्लेख कॉलम संख्या 7 व 8 में अंकित किया जाए। उक्त सूचनायें संकलित करने का यह उद्देश्य है कि यदि कोई मतदान केन्द्र धार्मिक स्थल/पुलिस स्टेशन/अस्पताल में स्थापित है अथवा क्षतिग्रस्त है तो ऐसे मतदान केन्द्रों को मतदान केन्द्र के क्षेत्र में ही सरकारी भवन होने की स्थिति में स्थानान्तरित कर स्थापित किया जा सके। यदि भौतिक सत्यापन के समय उपरोक्तानुसार स्थिति पाई जाती है तो मतदान केन्द्र के क्षेत्र में सरकारी भवन को चिन्हित किया जावे।

3.4. भौतिक सत्यापन के समय कॉलम संख्या 9 में मतदान केन्द्रों का माप सावधानीपूर्वक अंकित किया जाए। आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मतदान केन्द्र के कक्ष का आकार 20 वर्ग मीटर का होना आवश्यक है। भौतिक

सत्यापन के समय यह भी सूचना संकलित की जाए कि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थित हैं अथवा नहीं, तद्नुसार कॉलम संख्या 10 की पूर्ति की जाए। **इस विषय में आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मतदान केन्द्र भूतल पर स्थापित होने चाहिए तथा इसके साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में एक भवन में चार से अधिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दो से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित नहीं होने चाहिए।** यदि भौतिक सत्यापन के दौरान इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है तो मतदान केन्द्र को स्थानान्तरित करने हेतु मतदान केन्द्र के क्षेत्र में ही उपयुक्त सरकारी भवन चिन्हित किया जाए जो कि आयोग के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करते हों। **भौतिक सत्यापन के समय वर्तमान के जिस कक्ष में मतदान केन्द्र स्थापित है उसके विषय में यह ध्यान रखा जाए कि उसमें दो दरवाजे हैं। यदि कक्ष के एक ही दरवाजा है तो उसी भवन में दो दरवाजे वाला कक्ष चिन्हित किया जाए।**

4. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के समय मतदान केन्द्रों के आदिनांक नजरी नक्शे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नजरी नक्शे तैयार करते समय उसमें सम्मिलित सभी अनुभागों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए तथा मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मार्ग को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए तथा यह भी अंकित किया जाए कि उस क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुँचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी। इसका उल्लेख **परिशिष्ट–1** के कॉलम संख्या 12 में किया जाए। इस बिन्दु पर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जाए।

5. यदि वर्तमान में भौतिक सत्यापन के समय किसी मतदान केन्द्र पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित है तो तद्नुसार सहायक मतदान केन्द्र की सूचना का अंकन कॉलम संख्या 14 में किया जाए। **(इस प्रकार की स्थिति अजमेर एवं अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हो सकती है)**

6. आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र के भौतिक सत्यापन के समय मतदान केन्द्र का वास्तविक फोटो भी लिया जाना है साथ ही जिस कक्ष में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, उसकी नाप–जोख (Measurement) भी की जानी है। अतः भौतिक सत्यापन के समय पटवारी/अन्य दक्ष कर्मचारियों को अपने साथ रखें ताकि तद्नुसार कार्यवाही की

जा सके। मतदान केन्द्र की फोटो लेने हेतु जिले में उपलब्ध डिजिटल कैमरों का इस्तेमाल किया जाए जो कि विभाग द्वारा लोकसभा/विधानसभा आम चुनाव के दौरान उपलब्ध कराए गए हैं।

7. मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सुविधाओं की सूचना का संकलन इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 के कॉलम संख्या 15 से लेकर 29 में किया जाना है। इस विषय में उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा आम चुनाव/उप चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विशेष दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिससे मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। भौतिक सत्यापन का कार्य करने वाले अधिकारी इन सूचनाओं का अंकन स्पष्ट रूप से करेंगे ताकि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/आरओ के पास नागरिक सुविधाओं से संबंधित सूचना आदिनांक रहे। यदि वर्तमान में स्थापित भवनों में नागरिक सुविधाओं का अभाव है तो ऐसी स्थिति में मतदान केन्द्र के क्षेत्र में अधिक सुविधाजनक सरकारी भवन उपलब्ध है तो इसके स्थानान्तरण के विषय में भवन को चिन्हित किया जाए, जिससे आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर ऐसे मतदान केन्द्रों के भवन के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सके।

8. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **गूगल मैप** पर मतदान केन्द्रों की लोकेशन को चिन्हित कर इनकी मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि राज्य में सभी मतदान केन्द्रों के Longitude एवं Latitude की सूचना का संकलन कर मतदान केन्द्रों की लोकेशन गूगल मैप पर अपडेट की जावे।

8.1. राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक "Polling Stations Location on Google Map" पर जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्र गूगल मैप पर सही दर्शाये जा रहे हैं अथवा नहीं। यदि किसी मतदान केन्द्र की लोकेशन गूगल मैप पर गलत दर्शायी जा रही है तो उसके नये Longitude एवं Latitude गूगल मैप पर

गलत दर्शायी जा रही है तो उसके नये Longitude एवं Latitude गूगल मैप पर आदिनांक कर उसकी लोकेशन सही किया जाना सुनिश्चित करें।

8.2. इसके अतिरिक्त गूगल मैप पर प्रत्येक मतदान केन्द्र के DEO, ERO व BLO का नाम तथा मोबाईल नम्बर भी प्रदर्शित हो रहा है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त विवरण की भी जॉच कर लें तथा यदि BLO की सूचना अपडेट करने की आवश्यकता है तो PGR Portal पर अपने स्तर पर अपडेट करना सुनिश्चित करें एवं DEO एवं ERO की सूचना अपडेट करने के लिए इस विभाग को E-mail IDs (ceojpr-rj@nic.in and dyceo-rj@nic.in) पर संशोधित सूचना प्रेषित करें। DEO व ERO से संकलित उक्त सूचना विभाग द्वारा अपडेट कर दी जायेगी।

9. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1200 मतदाता एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1400 मतदाताओं का निर्धारण किया गया है। अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं दिनांक 31 मई, 2018 तक निरन्तर अद्यतन की प्रकिया में तैयार की गई पूरक सूची के एकीकरण के बाद विधानसभा क्षेत्रवार यह स्थिति स्पष्ट होगी कि 1200 एवं 1400 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केन्द्र कौन–कौन से हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन की कार्यवाही की जानी है। इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाए।

9.1. सर्वप्रथम यह ध्यान रखा जाए कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। इसी प्रकार से एक ही बिल्डिंग में रहने वाले सभी मतदाताओ के नाम एक ही अनुभाग में एक साथ अंकित हों। यदि शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतें है तो इस प्रकार की बहुमंजिला इमारतों के लिए पृथक से अनुभाग सृजित किए जाएं।

9.2. किसी मतदान केन्द्र के क्षेत्र में में कोई दूसरे मतदान केन्द्र का अनुभाग सम्मिलित तो नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि अनुभाग गलत है अथवा नये अनुभाग सृजित किए जाने हैं तो तद्नुसार जानकारी प्राप्त कर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के बाद कॉलम संख्या 30 में टिप्पणी अंकित की

जाए ताकि भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के पश्चात् मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के प्रस्ताव तैयार करते समय उन्हें ठीक किया जा सके। इस विषय में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07 मई, 2018 के पैरा 6 में दिए गए निर्देशों का भलीभॉति अध्ययन कर लें तथा तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

9.3. विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.05.2018 का अवलोकन करें। मतदान केन्द्रों पर उपरोक्त प्रकार से मतदाताओं के स्थानांतरण करने हेतु ऑनलाइन सुविधा दिनांक 14 जून से दिनांक 30 जून, 2018 के मध्य उपलब्ध रहेगी। इस समय उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

9.4. भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के समय यदि भवन परिवर्तन किये जाने हों या किसी भवन में नया मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना हो तो इसके Longitude/Latitude इसी समय रेकार्ड किये जावें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों से यथाशीघ्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराया जाए तथा निर्धारित दिनांक तक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने हेतु पृथक से दिशा–निर्देश आपको यथा शीघ्र भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

**क्रमांकः** प.6(1)(35)रोल/निर्वा/2016/मतदान केन्द्र/ 3082 जयपुर, दिनांक 01.06.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1- निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2- अति0 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0, जयपुर।
3- समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक), राजस्थान।
4- उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5- समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
6- समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ठ – 1

# भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का विश्लेषण

जिले का नाम .....  शहरी / ग्रामीण

संख्या ..... नाम ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ..... नाम ..... एवं आरक्षण की स्थिति

| क्र स | मतदान केन्द्र का स्थान (लोकेशन) | भवन का नाम एवं पता | भवन की विशिष्टियां (सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राईवेट) | मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या | धार्मिक स्थल, पुलिस स्टेशन या अस्पताल में स्थापित तो नहीं है? उल्लेख करें। | मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति (अच्छी / खराब) | मतदान केन्द्र क्षतिग्रस्त / जीर्णशीर्ण तो नहीं है? यदि हां, तो क्या मतदान केन्द्र के आस–पास उचित भवन उपलब्ध है? | मतदान केन्द्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर है या नहीं? | क्या भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र है? संख्या लिखे | क्या मतदान केन्द्र मतदान क्षेत्र से बाहर है? (हॉ / नही) | मतदान केन्द्र तक पहुँचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी) | क्या मतदान केन्द्र ऊपरी मंजिल पर है? (हॉ / नहीं) | मतदान केन्द्र के साथ स्थापित सहायक मतदान केन्द्र का उल्लेख | क्या भवन के चारों ओर चारदीवारी (Boundary wall) है? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधायें हैं | | | | | | | क्या विद्युत कनेक्शन चालू है? (हॉ / नहीं) | क्या सीलिंग फैन लगा हुआ है व चालू है? (हॉ / नहीं) | क्या खिड़किया / दरवाजे ठीक हैं? (हॉ / नहीं) | क्या आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थायी रैम्प है या नहीं? (हॉ / नहीं) | क्या मतदान केन्द्र जाने के लिये नदी / नाला पार करना पडता है? (हॉ / नहीं) | क्या मतदान केन्द्र पर इंटरनेट चलता है अथवा नही? (हॉ / नही) | क्या मतदान केन्द्र पर मतदान केन्द्र का नाम व पता लिखा हुआ है? (हॉ / नही) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पेयजल | महिलाओं के लिये पृथक से शौचालय / मूत्रालय (हॉ / नहीं) | शेड (हॉ / नहीं) | प्रकाश (हॉ / नही) | फर्नीचर (हॉ / नही) | आवागमन हेतु दो दरवाजे है अथवा नहीं (हॉ / नहीं) | पुरूष / स्त्री मतदाता एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित या जिनके पास पहचान पत्र नहीं है की पृथक–पृथक लाईन हेतु स्थान उपलब्ध है या नहीं? | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

दिनांक:–